2006:CGHC:5698

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या: 3524 / 2003

याचिकाकर्ता : पन्ना लाल अग्रवाल

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु नियत तिथि: 6 दिसंबर, 2006

हस्ताक्षरित

सतीश के. अग्निहोत्री

(न्यायाधीश)

2006:CGHC:5698

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 3524 / 2003

याचिकाकर्ता	:	पन्ना लाल अग्रवाल
	विरुद्ध	
उत्तरवादीगण	:	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सुनील साहू, **अधिवक्ता**

उत्तरवादीगण/ राज्य की ओर से : श्री ए.एस. कच्छवाहा, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(6 दिसम्बर, 2006)

1. याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें दिनांक 30.09.2003 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता से ₹1,41,892.50/– की वसूली का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता ने इसके अतिरिक्त दिनांक 16.10.1994 से पूर्ण पेंशन तथा ब्याज सहित सेवानिवृत्ति उपादान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है।

2. याचिकाकर्ता, जब वह कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, छुरिया (जिला राजनांदगांव) में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे, उन्हें दिनांक 22.03.1993 को निलंबित किया गया था (अनुलग्नक पी/3)। यह निलंबन, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर, जिला राजनांदगांव में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करते समय उनके द्वारा की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण किया गया था। उसी दिन, अर्थात् दिनांक 22.03.1993 को, याचिकाकर्ता को दो आरोपों वाला एक आरोप–पत्र जारी किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 01.10.1987 से 19.06.1990 की अवधि के दौरान ₹2,83,785/– की राशि का गबन किया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त आरोप–पत्र

2006:CGHC:5698

का उत्तर दिनांक 16.04.1993 (अनुलग्नक पी/4) के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और दिनांक 01.10.1987 से 19.06.1990 तक की अवधि के दस्तावेज़ों, कैशबुक, वाउचर आदि की प्रतिलिपि मांगी।

3. "सार्वजनिक शिक्षा उपसंचालक, राजनांदगांव ने याचिकाकर्ता तथा सह–अपचारी अधिकारी श्री एम.पी. अग्रवाल, लेखापाल को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत जांच संपन्न की और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे :–

" इन सब प्रकरणों के जांच के उपरांत यह पाया गया कि श्री एम०पी० अग्रवाल लेखापाल 2,83,785 /– रु० की राशि के कपट पूर्ण आहरण कर भ्रष्टाचार एवं गबन किया जिसके लिए वे प्रत्यक्ष दोषी है इस राशि से 40,000 /– रु० का प्रकरण खेरागण न्यायलय में चल रहा है श्री पी०एल० अग्रवाल अहरण एवं संवितरण अधिकारी वित्तीय अनियमितता बरतने एवं उन पर नियंत्रण नहीं रखने के दोषी है यदि वह सजग रहते तो इतनी बड़ी राशि की अफरा तफरी नहीं हो सकती थी उन्होंने संयुक्त संचालक दुर्ग संभाग दुर्ग को अपने पत्र क्रमांक 164/दिनांक 2–9–89 (सहपत्र 14) के तहत शा०उ०मा० शाला उदयपुर संस्था के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर अनियमिततायें और शालेय निधियों की चिंतनीय अफरा तफरी की ओरध्यान दिलाया था अतः उस समय भी शाला की गंभीर एवं चिंतनीय स्थिती को देखते हुए उन्हें आहरण एवं वितरण को चुस्त दुरुस्त कर सतर्क हो जाना था किन्तु उन्होंनेऐसा नहीं किया अतः वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व से कदापि मुक्त नहीं हो सकते प्राचार्य श्री अग्रवाल ने आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व रहते हुए भी म०प्र० कोषालय संहिता के नियम 53 के प्रावधानों की घोर उपेक्षा की

अतः वे म०प्र०सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) के प्रतिकूल आचरण के घोर दुराचरण के दोषी है

तदनुसार रिपोर्ट दिनांक 22.07.1996 को प्रस्तुत की गई।

4. द्वितीय कारण बताओ सूचना पत्र, प्रतिवेदन की प्रति सहित, याचिकाकर्ता को संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, दुर्ग के पत्र दिनांक 26.02.1998 के माध्यम से प्रेषित किया गया। याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 12.03.1998 (अनुलग्नक पी/8) के द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5698

5. निदेशक, लोक शिक्षण संचनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा, जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए एवं याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीय कारण बताओ सूचना पत्र — जो कि जांच प्रतिवेदन सहित याचिकाकर्ता को प्रदत्त किया गया था — के संबंध में प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात, कुल राशि ₹2,83,785/– में से 50% राशि की वसूली याचिकाकर्ता से किए जाने का निर्देश दिया गया। जांच में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता एवं तत्कालीन लेखापाल श्री एम. पी. अग्रवाल दोनों ₹2,83,785/– की धनराशि के गबन के लिए समान रूप से उत्तरदायी पाए गए थे, अतः कुल राशि का 50% अर्थात ₹1,41,82.50/– याचिकाकर्ता से वसूल किया जाना था। सह–अपचारी अधिकारी श्री एम. पी. अग्रवाल, लेखापाल का इस बीच निधन हो गया। याचिकाकर्ता भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो कि दिनांक 16.10.1994 को उनकी अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर प्रभावशील हुआ।

6. असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त वर्णित अनुतोष की प्राप्ति हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता श्री सुनील साहू ने यह निवेदन किया कि चूँकि याचिकाकर्ता पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (जिसे आगे 'नियम, 1976' कहा गया है) के नियम 9 के अंतर्गत याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी कि जांच अनुचित थी, या निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित था, या जांच प्रक्रिया में कोई त्रुटि, अनियमितता या अवैधता थी।

8. इसके पश्चात यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि लेखापाल ही लेखा संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी था, अतः समस्त देयता उसी पर लागू की जानी चाहिए थी, और याचिकाकर्ता के लिए यह संभव नहीं था कि वह राजनांदगांव जिले के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर, में, जहाँ वह दिनांक 01.10.1987 से 19.06.1990 की अवधि के बीच आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में पदस्थ थे, वित्तीय पहलुओं की निगरानी कर सके।"

9. श्री ए. एस. कच्छवाहा, उप शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण/राज्य की ओर से उपस्थित होकर प्रतिवाद में यह तर्क प्रस्तुत किया कि एक विधिवत विभागीय जांच की गई थी और जांच अधिकारी का निष्कर्ष पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, दिया गया था। आगे यह भी तर्क

2006:CGHC:5698

प्रस्तुत किया गया कि चूँकि विभागीय जांच की शुरुआत दिनांक 22.03.1993 को आरोप–पत्र जारी करके संस्थित की गयी थी, जब याचिकाकर्ता सेवा में थे, अतः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह कहना उचित नहीं है कि विभागीय जांच याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद प्रारंभ की गई थी और नियम 9, नियम 1976 के अंतर्गत वसूली का आदेश नहीं दिया जा सकता। उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि इस माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल विभागीय कार्यवाही में हुई त्रुटियों, विधिक दोषों या अनियमितताओं की सीमित समीक्षा तक है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

10. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की तर्कों को सुनने और याचिका तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि जांच की कार्यवाही दिनांक 22.03.1993 को प्रारम्भ की गई थी और उसी दिन याचिकाकर्ता को आरोप–पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप–पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया और जांच में भाग लिया। याचिकाकर्ता ने न तो जांच की प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत की है, और न ही यह कहा है कि जांच में कोई त्रुटि, विधिक दोष, अनियमितता थी अथवा यह कि याचिकाकर्ता को वित्तीय अनियमितता का दोषी ठहराने हेतु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। याचिकाकर्ता की यह तर्क सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके विरुद्ध वसूली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता, विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **नियम 1976 का नियम 9 इस प्रकार है :–**

"9. पेन्शन को रोकने अथवा वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार– (1) पेन्शन द्वारा उसकी सेवा के दौरान जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर की गई सेवा भी शामिल है, विभागीय अथवा न्यायालयीन कार्यवाही में जिसमें यह पाया जाय कि पेन्शनर गम्भीर दुराचरण अथवा लापरवाही का दोषी है, शासन को पहुँचाई गई धन सम्बन्धी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये, पेन्शन अथवा उसके किसी अंश को रोकने के लिये पेन्शन वापस लेने और पूर्ण आदेश पारित करने के लिये राज्यपाल स्वंय के अधिकार सुरक्षित रखते हैं :

परन्तु अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा :

2006:CGHC:5698

परन्तु आगे यह भी कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है तो ऐसी धनराशि [2][न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावे], से कम नहीं होगी।

(2) (क) विभागीय कार्यवाहियां, यदि शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान संस्थित की गई हों तो इस नियम के अधीन शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी कार्यवाहियां चालू मानी जावेगी और वे जिस प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई थीं उसी के द्वारा और उसी प्रकार से जैसा कि शासकीय सेवक सेवा में रहता; चालू रहेंगी और निर्णीत की जावेंगी:

परन्तु यह कि जहां विभागीय कार्यवाहियां राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की गई हैं तो वह प्राधिकारी उसके निष्कर्षों को अंकित कर राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ख) विभागीय कार्यवाहियां, जब शासकीय सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित की गई तो-

(i) राज्यपाल की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएंगी;

(ii) ऐसे संस्थापन के पूर्व चार वर्ष के पहिले घटित किसी घटना के बारे में नहीं होंगी; तथा

(iii) विभागीय कार्यवाहियों को लागू प्रक्रिया के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित की जावेंगी जैसा शासन निदेशित करे –

(क) जिसमें शासकीय सेवक को उसकी सेवा के दौरान उसे सेवा से पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है, उस मामले में जब पेंशन अथवा उसके भाग को चाहे स्थायी रूप से या निर्दिष्ट कालावधि के लिये रोकना अथवा वापस लेना प्रस्तावित था; अथवा

(ख) जिसमें यदि उसकी पेंशन से शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग की वसूली का आदेश प्रस्तावित किया गया था शासकीय सेवक को उसकी सेवा के संबंध में उसकी लापरवाही अथवा आदेश भंग के कारण हुई आर्थिक हानि की पूर्ण अथवा भाग को उसके वेतन से वसूल करने का आदेश किया जा सकता है।

(3) xxx xxx xxx

(4) xxx xxx xxx

(5) xxx xxx xxx

(6) xxx xxx xxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5698

नियम, 1976 का नियम 9 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व विभागीय जांच प्रारंभ की गई हो, तो उस स्थिति में वसूली की जा सकती है।

12. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता दिनांक 16.10.1994 को सेवानिवृत्त हुआ तथा विभागीय जांच दिनांक 22.03.1993 को प्रारंभ की गई थी। याचिकाकर्ता एवं तत्कालीन लेखापाल श्री एम. पी. अग्रवाल (अन्य सह–अपचारी अधिकारी) को ₹2,83,785/– की धनराशि के गबन के लिए दोषी पाया गया। याचिकाकर्ता को कुल राशि के 50% अर्थात ₹1,41,892.50/– के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराया जाना न्यायसंगत था। यह आदेश न्यायोचित और विधिसंगत है तथा इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय, अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है, परन्तु स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। वर्तमान मामले में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मनमानी, अवैधता, अनियमितता या अनुचितता का न तो आरोप लगाया गया है और न ही कोई ऐसी बात पाई गई है।

14. उपरोक्त कारणों के आधार पर, यह याचिका निरस्त की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित
सतीश के. अग्निहोत्री
(न्यायाधीश)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Adv Deepali Gupta